छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

W.P.(C) No. 127 of 2021

जगमोहन चौहान पिता पिरती राम चौहान उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गनेकेरा, ब्लाक बसना, थाना व तहसील बसना, जिला महासमुंद छ.ग.

.....याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. छ.ग. राज्य द्वारा सचिव, पंचायत एवं कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर छ.ग.
2. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद छ.ग.
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी सरायपाली, जिला महासमुंद छ.ग.
4. कार्यालय तहसीलदार सरायपाली, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद छ.ग.
5. अनुसुइया चौहान पति कीर्ति चौहान उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम नवागांव, विकासखण्ड बसना, थाना व तहसील बसना, जिला महासमुंद छ.ग.
6. महावीर चौहान पिता श्री चमार सिंह चौहान उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम गनेकेरा, ब्लाक बसना, थाना व तहसील बसना, जिला महासमुंद छ.ग.
7. परसहु राम चौहान पिता शैदो चौहान उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम गनेकेरा, ब्लाक बसना, थाना व तहसील बसना, जिला महासमुंद छ.ग.
8. प्रकाश कुमार मिश्रा, पीठासीन अधिकारी, उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल घाटकछार, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद छ.ग.
9. कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) महासमुंद, ब्लाक व तहसील महासमुंद, जिला महासमुंद छ.ग.

.....उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से	श्री सिद्धार्थ दुबे, अधिवक्ता
प्रतिवादी क्र. 01 से 04 की ओर से	श्री सुदीप अग्रवाल, उप महाधिवक्ता
प्रतिवादी क्र. 05 की ओर से	श्री किशोर नारायण, अधिवक्ता
प्रतिवादी क्र. 08 की ओर से	श्री राघवेन्द्र प्रधान, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी

आदेश (Order On Board)

07.09.2021

तर्क सुना गया।

1. इस याचिका में आदेश दिनांक 29.10.2020 को चुनौती दी गयी है, जिसमें धारा 122 छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 (एतद पश्चात् जिसे "अधिनियम 1993" के रूप में संबोधित किया गया है) के तहत् प्रस्तुत चुनाव याचिका प्रारंभिक आपत्ति के रूप में उठाये गये आधारो को स्वीकार करते हुये निरस्त की गयी है।

2. यह निवेदन किया गया है कि उत्तरदाता क्र. 05 के सरपंच के रूप में निर्वाचन के विरूद्ध याचिकाकर्ता, जो कि स्वयं भी चुनाव लड़ रहे थे, के द्वारा अधिनियम 1993 की धारा 122 के अंतर्गत चुनाव याचिका दायर की गयी। सक्षम अधिकारी एस.डी.आे. के समक्ष कार्यवाही के दौरान अनुलग्नक पी-4 के अनुसार विभिन्न आधारो पर चुनाव याचिका पोषणीय नहीं होने के संबंध में आपत्ति की गयी। आपत्ति का मुख्य आधार यह रहा था कि चुनाव याचिका, जो कि प्रदत्त की गयी थी, वह नियम 3(2) छ.ग. पंचायत (चुनाव याचिका, भ्रष्ट आचरण और सदस्यो की निर्योग्यता) नियम 1995 (जिसे आगे नियम 1995 में संबोधित किया गया है) के अपेक्षा अनुरूप "अनुप्रमाणित एवं सत्य प्रतिलिपि" नहीं लिखा गया है। विद्वान एस.डी.ओ. ने पक्षकारों की सुनवाई के बाद प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार करते हुये, अधिनियम 1993 की धारा 122 के तहत् प्रस्तुत चुनाव याचिका निरस्त कर दिया तथा यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा जो याचिका की प्रति विपक्ष को प्रदाय की गयी थी, वह शब्द "अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि" से पृष्ठांकित नहीं था, जो कि नियमो के तहत् अनिवार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख में अनुलग्नक पी-3 के रूप में रखे गये चुनाव याचिका को संदर्भित करते हुये, यह निवेदन किया गया है कि याचिका की प्रति में याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर थे। अतः भले ही मूल याचिका में शब्द "अनुप्रमाणित और

सत्य प्रतिलिपि है" न लिखा गया हो, परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है आैर इस संबंध में उत्तर **2006(3) M.P.L.J.** में प्रतिपादित सिद्धांत में निहित है।

4. इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया है कि नियम 1995 का नियम 3 का उपनियम 2, यह आपेक्षित करता है कि "अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि" पृष्ठांकित किया जावे और यह अनिवार्य है। अतएव आलोच्य आदेश उचित आधार पर दिया गया आदेश है। इसके आगे यह भी निवेदन किया गया है कि यदि गुण-दोष पर विचार करें, तो भी नंबरो की गिनती में इतना विशाल अंतर है कि प्रकरण एस.डी.ओ. को प्रतिप्रेषित किये जाने पर कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और एस.डी.ओ के आदेश का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. चुनाव याचिका खारिजी का आदेश यह दर्शाता है कि प्रत्यर्थी क्र. 05 के द्वारा उठाये गये आपत्ति और विभिन्न आधारों के अनुसरण में जब एस.डी.ओ. द्वारा आदेश पारित किया गया, तब यह इसी विषय तक सीमित है, याचिका की प्रति जो कि प्रत्यर्थीगण को प्रदाय की गयी, वह "अनुप्रमाणित और सत्य प्रतिलिपि" से पृष्ठांकित नहीं की गयी थी। आदेश में अधिनियम 1993 की धारा 22 नियम 17 की बात की गयी है, जो कि विधि पुस्तक में नहीं है। इसलिए आदेश का शार केवल इस तथ्य पर है कि नियम 1995 के नियम 3(2) का अनुपालन न करने पर याचिका खारिज कर दी गयी। संक्षेप में नियम 1995 के नियम 3 को यह उल्लेखित किया जा रहा है:-

"3. **चुनाव याचिका पेश किया जाना**- (1) चुनाव याचिका का कार्यालयीन समय में याचिकाकर्ता अथवा याचिकाकर्ता की ओर से लिखित में अधिकृत व्यक्ति के द्वारा विशेषांकित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(2) प्रत्येक चुनाव याचिका में, उल्लेखित प्रत्यर्थीगण के संख्या के अनुसार याचिका की प्रतिलिपि होगी और ऐसी प्रति स्वयं याचिकाकर्ता के द्वारा उसके सत्य प्रतिलिपि होने के संबंध में अभिप्रमाणित की जावेगी।"

7. इसी तरह का मामला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष **रविन्द्र सिंह बनाम सब डिवीशनल ऑफिसर-सह-विहित प्राधिकारी दतिया एवं अन्य 2006(3) एम.पी.एल.जे. (Ravindra Singh v. Sub-Divisional Officer-Cum-Prescribed Authority, Datia & Others** reported in **2006(3) M.P.L.J.)** के सुनवाई में आया था। जिसे न्यायालय ने पैरा 8, 9 & 10 में यह अवधारित किया है किः

"**8.** जहां तक कि उत्तरवादी क्र. 01 को सूचना के सार भेजी गयी सत्य प्रतिलिपियों का संबंध है, नियम 1995 का नियम 3 उपनियम (2) यह प्रावधानित करता है कि प्रत्येक चुनाव याचिका के साथ उतनी ही प्रतियां संलग्न की जायेगी, जितनी उत्तरवादियों की संख्या याचिका में उल्लेखित की गयी है और ऐसी प्रत्येक प्रति सत्य प्रतिलिपि होने के संबंध में याचिकाकर्ता के स्वयं के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित की जायेगी, वर्तमान मामले में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से दर्शित होता है कि उत्तरदातागण को भेजे गये प्रतियों में याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर थे, यद्यपि शब्द "सत्य प्रतिलिपि होने के रूप में प्रमाणित" हस्ताक्षर के उपर नहीं लिखे गये थे और इसी आधार पर नियम 3(2) का अनुपालन नहीं होना स्थापित पाया गया और चुनाव याचिका खारिज कर दी गयी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत् चुनाव याचिका दायर करते समय "सत्य प्रति" या "प्रमाणित सत्य प्रति" को शामिल करने का प्रश्न पर विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा **डॉ. अनूप सिंह (उपर्युक्त)** के मामले में वर्ष 1965 में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया था। उक्त निर्णय के पैरा 6 में सर्वोच्च न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81(3) को संदर्भित किया है और प्रावधान जो कि पुनः उद्धृत किये गये है। यह संकेत देते है कि उक्त प्रावधान नियम 1995 के नियम 3(2) के समरूप है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81(3) का प्रावधान यह भी मानता है कि प्रत्येक प्रतिलिपि को व्यक्ति द्वारा याचिका की सत्य प्रतिलिपि के रूप में अपने स्वयं के हस्ताक्षर के तहत् सत्यापित किया जायेगा।"

"**9.** तत्पश्चात् पैरा 07 में वर्तमान मामले जैसे ही स्थिति पर विचार किया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश में निम्नानुसार अवलोकित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"7 **सुब्बाराव बनाम सदस्य चुनाव अधिकरण एआईआर 1964 एससी 1027** के मामले में ठीक इसी तरह का मामला सामने आया था। उस मामले में भी प्रतियों पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर तो किये गये थे, लेकिन इस भाव का कोई सत्यापन नहीं था, याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर के उपर "सत्य प्रतिलिपि" शब्द छूट गये थे। इस न्यायालय ने माना कि चूंकि प्रतिलिपि में मूल हस्ताक्षर मौजूद थे, इसलिए प्रतिलिपि में मूल हस्ताक्षर की मौजूदगी यह इंगित करने के लिये पर्याप्त थी कि प्रतिलिपि को एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में सत्यापित किया गया था, भले ही हस्ताक्षर के उपर प्रतियों में शब्द "सत्य प्रतिलिपि" नहीं लिखे गये थे। इस न्यायालय द्वारा आगे यह भी अवधारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 81(3) का पर्याप्त अनुपालन हुआ था, इसलिए याचिका को धारा 90(3) के तहत् खारिज नहीं किया जा सकता। वह मामला वर्तमान मामले के तथ्यों पर पुरजोर तरीके से लागू होता है, इसलिए यह माना चाहिए कि धारा 81(3) का तात्विक रूप

से पालन हुआ था और इसलिए याचिकों के धारा 90(3) के तहत् खारिज नहीं किया जा सकता।" (Emphasis Supplied).

10. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादीगण को भेजे गये प्रतियों में याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर है, तो केवल "सत्य प्रतिलिपि" या "अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि" शब्द लिखने में लोप किये जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह प्रश्न इस न्यायालय के पीठ द्वारा **रामेश्वर दयाल अराले (Rameshwar Dayal Arale) (उपर्युक्त)** के मामले में विचार किया गया था। उक्त निर्णय के पैरा 08 में पृष्ठांकन न किये जाने का प्रभाव अर्थात् "अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि" पर विचार किया गया और पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण **एम. कमलम (M. Kamalam) (उपर्युक्त)** पर भरोसा व्यक्त करते हुये, इस न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि उत्तरवादीगण को तामिली हेतु प्रदत्त चुनाव याचिका की प्रतियां चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है, तो "सत्य प्रतिलिपि" शब्द उल्लेखित किये जाने की आवश्यकता पूर्णतः काल्पनिक और अनुचित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुये और इस न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त मामले में यह माना जाना चाहिए कि नियम 3(2) का पालन न करने के आधार पर चुनाव याचिका खारिज नहीं की जा सकती और यह माना जाना चाहिए कि नियम 1995 के नियम 3(2) की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति की गयी है और इसीलिए इस आधार पर चुनाव याचिका को खारिज किया जाना अनुचित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उपरोक्त पैरा को पढ़ने से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि सत्य प्रतिलिपि या अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि लिखने या यहां तक कि यदि कोई चूक हुई है, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या घातक होगा। याचिका के प्रतिलिपि जो कि प्रस्तुत की गयी है, के

अवलोकन से दर्शित है कि चुनाव याचिका की प्रतिलिपि पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर थे। इसलिए इस कारण कि सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित शब्द नहीं लिखे गये थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है और केवल इसी आधार पर खारिजी को स्थिर नहीं रखा जा सकता।

9. वर्तमान मामले में उपरोक्त उक्ति (dictum) को लागू करने पर एस.डी.ओ . का आदेश दिनांक 19.10.2020 स्थिर नहीं रखा जा सकता और तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है और प्रकरण न्यायालय एस.डी.ओ. सरायपाली, जिला महासमुंद को चुनाव याचिका पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत पुनः निराकृत किये जाने हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। एस.डी.ओ. द्वारा इस आदेश की प्रति की प्राप्ति दिनांक से चार माह के अंदर याचिका की सुनवाई पूरी की जावेगी।

10. उपरोक्त अनुसार दृष्टिगत, रखते हुये याचिका स्वीकार की जाती है। व्यय के संदर्भ में कोई आदेश नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(गौतम भादुड़ी)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**